

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 296 / 12

संस्थापन दिनांक:-26 / 06 / 12

फाईलिंग नं. 233504000442012

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

रामा पिता टाटरू मेहरा, उम्र 20 वर्ष,
निवासी बंजारी ढाल, हाल नि. हसलपुर,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 05.12.2017 को घोषित)

1 अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(1)(ए) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 22.06.2012 को 18:30 बजे दीपाली ढाबा के पास हसलपुर बोड़खी पर स्वयं के आधिपत्य में 24 नग बीयर 750 एमएल, 01 नग आईबी विहस्की 750 एमएल, 01 नग रायल स्टेज विहस्की 750 एमएल, 06 नग मेगडावल नं. 1 विहस्की के पाव 180 एमएल, 09 नग व्हाईट चीप विहस्की 180 एमएल कुल 21½ लीटर अंग्रेजी शराब अवैध रूप से रखी।

2 प्रकरण में अभियुक्त द्वारा धारा 294 दं.प्र.सं. का आवेदन पत्र पेश कर अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों एवं दस्तावेजों को स्वीकार किया गया है एवं धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य न होने पर अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षण नहीं किया गया।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.2012 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दिपाली ढाबा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचने की गरज से रखा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं साक्षीगण के मौके पर पहुंचा और अभियुक्त के कब्जे से 24 नग बीयर 750 एमएल, 01 नग आईबी विहस्की 750 एमएल, 01 नग रायल स्टेज विहस्की 750 एमएल, 06 नग मेगडावल नं. 1 विहस्की के पाव 180 एमएल, 09 नग व्हाईट चीप विहस्की 180 कुल 21½ लीटर कीमती करीब 4130/- रुपये अंग्रेजी शराब गवाहों के समक्ष जप्त किया। अभियुक्त का कृत्य धारा 34-ए आबकारी अधिनियम के अधीन पाये जाने पर अभियुक्त को

गिरफ्तार किया तथा थाने वापस आकर अपराध क. 245/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों को स्वीकार कर लिये जाने के कारण अभियोजन साक्षीगण को परिक्षीत नहीं कराया गया है।

5 अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.08.2013 को निर्णय की कंडिका 01 में वर्णित आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा गया था परंतु आज दिनांक 05.12.2017 को धारा 294 दं.प्र.सं. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों को स्वीकार किया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर स्वयं के आधिपत्य में 24 नग बीयर 750 एमएल, 01 नग आईबी विहस्की 750 एमएल, 01 नग रायल स्टेज विहस्की 750 एमएल, 06 नग मेगडावल नं. 1 विहस्की के पाव 180 एमएल, 09 नग व्हाइट चीप विहस्की 180 एमएल कुल $21\frac{1}{2}$ लीटर अंग्रेजी शराब अवैध रूप से रखी?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

विचारणीय प्रश्नों का निराकरण

7 अभियुक्त द्वारा धारा 294 दं.प्र.सं. का आवेदन प्रस्तुत कर स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया गया, साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार किया गया। अभियोजन की ओर से कोई तात्त्विक त्रुटि विद्यमान नहीं है। अतः अभियुक्त को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)ए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये धारा 34(1)ए आबकारी अधिनियम के तहत 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा दी जाती है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में पृथक से एक माह का सादा कारावास भुगताया जाये।

8 प्रकरण में जप्तशुदा 24 नग बीयर, 01 नग आईबी, 01 नग रायल स्टेज विहस्की, 6 नग मेगडावल, 9 नग व्हाइट चीप विहस्की अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

9 चूंकि आज दिनांक को अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुआ है और वह न्यायालय की अभिरक्षा में है। अतः उसे रिहा किया जावे एवं उसके विरुद्ध जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट वापस बुलाया जावे।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)